स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

क्रमांक : प.4(1-आर)( )स्वा.के.रा.कृ.वि./सी/2022/ 225 दिनांक : 18.06.2022
22

कार्यालय आदेश

स्थानीय निधि अंकेक्षण, जांच दल, के समक्ष इस विश्वविद्यालय की इकाइयों द्वारा प्रस्तुत लेखा अभिलेखो के आधार पर आलौच्य अवधि 2019-20 से संबन्धित स्थाई अग्रिम (स्थाई पेशगी) सम्बन्धी अनियमितताएं बाबत जारी आक्षेप संख्या 14 द्वारा यह तथ्य अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि विश्वविद्यालय मे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-प्रथम के नियम 212 एवं 213, जो स्थाई अग्रिम (स्थाई पेशगी) के नियम है, उक्त नियम की पालना विश्वविद्यालय की इकाई कार्यालयों मे नहीं हो पा रही है।

अतः विश्वविद्यालय इकाई के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / डीडीओ को एतद द्वारा निर्देश जारी किये जाते है कि आक्षेप संख्या 14, अंकेक्षण टिप्पणी, जिसकी छाया प्रति संलग्न है, के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावे तथा इस संबंध मे ऊपर उल्लेखित नियमों की पालना सुनिश्चित करावे।

उक्तानुसार, जारी इस प्रति आवश्यक निर्देश की पालना विश्वविद्यालय में सुनिश्चित करावे ताकि भविष्य में अनियमितताएं से बचा जा सके ।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/क्षे.निदेशक/प्रभारी अधिकारी/ईओ/डीडीओ।
2. कुलसचिव, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
3. निजी सचिव कुलपति, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
4. कोषाधिकारी, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर।
5. प्रभारी CIMCA, स्वा.के.रा.कृ.वि., बीकानेर को वि.वि. वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(पवन कुमार कस्वाँ)
वित्तनियंत्रक

आक्षेप सं. 14 :–

स्थायी अग्रिम (स्थायी पेशगी) सम्बन्धी अनियमितताएं :–

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 212 के अनुसार स्थायी अग्रिम कार्यालयाध्यक्ष के लिए स्वीकार किया जा सकेगा जिसको कि कोषागार में बिल भेजकर निधियां प्राप्त कर सकने से पूर्व भुगतान करना होता है।

नियम 212(क) के अनुसार किसी भी कार्यालय के लिए ऐसे अग्रिम की मात्रा नियम के रूप में पूर्व के बारह माहों के आकस्मिक व्यय की मासिक औसत के आधे से अधिक नहीं होगी। तथापि, यह राशि छोटे खर्चों को वहन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यदि कार्यालय नया हो तो अग्रिम की राशि एक निश्चायक (Conservative) आधार पर नियत की जायेगी तथा 6 माह के बाद उसकी समीक्षा की जायेगी।

नियम 212(ग) के अनुसार अग्रिम को अनावश्यक रूप से बढ़ाया नहीं जायेगा। स्थायी अग्रिम की वह राशि पर्याप्त होगी जिससे कि कार्यालय की प्रत्येक शाखा की जरूरतें पूरी हो जाये ताकि अधीनस्थों के लिए पृथक से अग्रिम हेतु आवेदन करने की आवश्यकता से बचा जा सके।

नियम 212(3) के अनुसार अग्रिम और इन नियमों तथा विनियमों के अनुसार विशुद्ध सरकारी खाते में उसके उपयोग का लेखा दायित्व पूर्ण रूप से उसके धारक का होगा।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 213 के अनुसार प्रादेशिक अधिकारी/विभागाध्यक्ष जब तक सरकार अन्यथा निर्देश न दे अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए स्थायी अग्रिम की ऐसी राशि तक स्वीकृति देगा जिससे सम्बन्धित विभाग का वित्त सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी उचित समझे।

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय बीकानेर के आलौच्य अवधि के लेखा अंकेक्षण में निम्नानुसार अनियमितताएं/कमियां पाई गई :–

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 212 एवं 213 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार इकाई प्राधिकारी कार्यालयों हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर स्थायी अग्रिम (स्थायी पेशगी) राशि की स्वीकृतियां जारी नहीं की गई है। इकाई प्राधिकारी आवश्यकतानुसार अस्थायी अग्रिम (इम्प्रेस्ट) उनके पास अवितरित राशियों एवं अन्य जमा राशियों में से जारी करते है जो उक्त नियमों के प्रतिकूल है।

राम प्रसाद तिवाड़ी (प्रभारी)
(सहायक लेखाधिकखरी ग्रेड–I)

जीतेश कुमार यादव
(कनिष्ठ लेखाकार)

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 212 एवं 213 के प्रावधानों अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त इकाई कार्यालयों हेतु स्थायी अग्रिम की आवश्यकता की समीक्षा की जाकर स्थायी पेशगी की राशि निर्धारित की जाये तथा इकाई प्राधिकारियों को निर्देश जारी करें कि अधिकारियों/कर्मचारियों को इम्प्रेस्ट स्थायी पेशगी में से निर्धारित सीमा तक ही दिया जाये।

(2) इकाई प्राधिकारियों के द्वारा इम्प्रेस्ट लेखा पंजिका संधारित नहीं की जा रही है तथा इम्प्रेस्ट का रोकड़ बहियों में लेखाकंन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 48(6)(7) के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इस कारण यह ज्ञात किया जाना संभव नहीं हो पाता कि कितनी–कितनी राशियां कब से इम्प्रेस्ट के रूप में दी गई है तथा कितनी राशि का समायोजन बकाया है।

समस्त इकाई प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर नियमों की पालना सुनिश्चित करावें।

(3) नियमानुसार स्थायी अग्रिम में से दी गई इम्प्रेस्ट राशि का समायोजन एक माह में हो जाना चाहिए लेकिन इम्प्रेस्ट लेखों का समायोजन इकाई प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है।

समस्त इकाई प्राधिकारियों की निर्धारित समयावधि एक माह में इम्प्रेस्ट राशि का समयोजन करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें अन्यथा विलम्ब अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि की वसूली करें।

(4) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग प्रथम के नियम 212(छ) के अनुसार वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को असमायोजित इम्प्रेस्ट राशि शून्य होनी चाहिए तथा इस सम्बन्ध इकाई प्राधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए। इकाई अधिकारियों के द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इम्प्रेस्ट राशि का समायोजन नहीं किया जा रहा जो नियमों के प्रतिकूल है।

समस्त इकाई अधिकारियों को निर्देश जारी कर नियम की पालना सुनिश्चित करावें ताकि असमायोजित इम्प्रेस्ट शेष शून्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त किया जाये।

प्रकरण वित्त नियंत्रक स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के ध्यान में लाया जाता है।

राम प्रसाद तिवाड़ी (प्रभारी)
(सहायक लेखाधिकखरी ग्रेड–I)

जीतेश कुमार यादव
(कनिष्ठ लेखाकार)